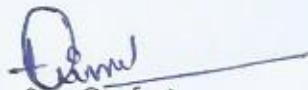


संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15.02.22 को जनपद पीलीभीत में पीलीभीत-बस्ती मार्ग के किमी 06 से लिपुलेक भिण्ड मार्ग के किमी 0 372 तक पीलीभीत बाईपास के निर्माण में पीलीभीत-मैलानी रेल खण्ड के चैनेज 258/11 एवं 258/12 के मध्य 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के कार्य में प्रस्तावित 0.1021 हे० संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के संतोष पाण्डेय, सहायक अभियन्ता एवं सुरेन्द्र कुमार सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पीलीभीत एवं कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, सेतु निर्माण इकाई-प्रथम, बरेली के सहायक अभियन्ता(सि०) श्री राजकुमार श्रीवास्तव एवं अवर अभियन्ता(सि०) श्री आशीष निर्वाल एवं श्री संजीव कुमार प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत द्वारा किया गया। जिसमें जनपद पीलीभीत में संरक्षित वन भूमि 0.1021 हे० प्रभावित हो रही है एवं शून्य वृक्षों का पातन निहित है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई दुर्लभ/संकटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

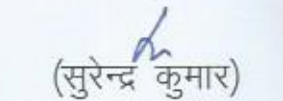


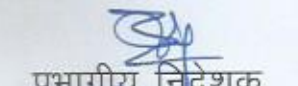
(आशीष निर्वाल)
अवर अभियन्ता(सि०)
सेतु निर्माण इकाई-प्रथम, बरेली



(राजकुमार श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता(सि०)
सेतु निर्माण इकाई-प्रथम, बरेली


(संतोष पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पीलीभीत


(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पीलीभीत


प्रभागीय निदेशक,
सा०वा० प्रभाग,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
पीलीभीत